(3)

संख्या : 3011 चि0शा0/2001-435(चि0)/2001

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव (चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0),
उत्तरांचल शासन।

सेवा में.

महानिदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल, देहरादून

चिकित्सा विभाग

देहरादून : दिनांक 14 जून, 2001

विषयः- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की वर्तमान सत्र में स्थानान्तरण नीति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या महानि0/कैम्प/2001/11625/4614 दिनांक 02 जून, 2001 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में वर्ष 2001-2002 के लिये श्रेणी ''क'' एवं श्रेणी ''ख'' के अधिकारियों के स्थानान्तरण हेतु नीति निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती है :-

श्रेणी ''क'' के संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों के संबंध में :

1. एक ही स्थान एवं एक ही पद पर अधिकतम तैनाती की सीमा 2 वर्ष की होगी।
2. गृह जनपद में तैनाती न हो।
3. तीन वर्ष तक पुनः उसी स्थान पर तैनाती न हो।
4. संवेदनशील पदों पर पूर्व में तैनाती रही हो तो पुनः 2 वर्ष की अवधि तक संवेदनशील पदों पर तैनाती नहीं की जायेगी। पुनः तैनाती तभी की जा सकेगी जब अन्य अधिकारी उपलब्ध न हों।
5. सुगम जनपदों से दुर्गम जनपदों में स्थानान्तरित किया जाये।
6. ''क'' श्रेणी (संयुक्त निदेशक ग्रेड के अधिकारी) के लिये सुगम स्थान व दुर्गम स्थानों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा रहा है :-

(3)

सुगम स्थान :- उत्तरांचल के जनपद मुख्यालय ऊधमसिंह नगर, देहरादून, [illegible]
पौड़ी का कोटद्वार।

दुर्गम स्थान :- उत्तरांचल के जनपद मुख्यालय (उपरोक्त) को छोड़कर।

''क'' श्रेणी के वरिष्ठ ग्रेड के लिए

वरिष्ठ ग्रेड :- वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, वरिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक आदि।

1. एक जनपद में कार्यरत रहने की अधिकतम सेवा अवधि 5 वर्ष हो।
2. वरिष्ठ विशेषज्ञ अधिकारी, जिला चिकित्सालय/ बड़े चिकित्सालयों में प्रतिस्थानी उपलब्ध होने पर ही स्थानान्तरित किया जायेगा।
3. सुगम स्थानों से दुर्गम स्थानों पर स्थानान्तरित किया जाय तथा दुर्गम स्थानों से सुगम स्थानों पर स्थानान्तरित किया जाये। दुर्गम स्थानों पर तैनात करने से पूर्व इस बात पर ध्यान देना होगा कि अधिकारी कितने समय तक दुर्गम स्थानों पर कार्यरत रहा है यदि किसी अधिकारी ने दुर्गम स्थान पर 3 वर्ष की सेवा न की हो, उसे पुनः दुर्गम स्थान पर तैनात किया जाय।
4. 3 वर्ष से अधिक दुर्गम स्थानों पर तैनाती वाले अधिकारियों को सुगम जनपदों में तैनात किया जाय। यदि तैनाती हेतु रिक्तियां कम हो तो उस अधिकारी को तैनात किया जाय जो अधिकतम समय दुर्गम स्थान पर तैनात रहा हो।

सुगम स्थान :- जनपद हरिद्वार, जनपद उधम सिंह नगर, सभी जिला चिकित्सालय (उत्तरांचल), सभी बेस चिकित्सालय (उत्तरांचल), मसूरी (देहरादून), ऋषिकेश (देहरादून), कोरोनेशन चिकित्सालय देहरादून, कुष्ठ चिकित्सालय देहरादून, रामनगर (नैनीताल) हल्द्वानी (नैनीताल), भवाली (नैनीताल), गेठिया (नैनीताल) तथा कोटद्वार (पौड़ी)।

दुर्गम स्थान :- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों के)।

''ख'' श्रेणी के अधिकारियों के लिए

1. एक ही स्थान या एक पद पर अधिकतम 5 वर्ष की सेवा की हो तथा जनपद में तैनाती की सीमा अधिकतम 7 वर्ष की हो। गृह जनपद में तैनाती पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
2. विशेषज्ञ अधिकारियों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील स्तरीय एवं जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ पदों के अनुरूप तैनात किया जाय।
3. प्रशासनिक आधार पर सुगम से दुर्गम स्थानों पर तैनात किया जाय।

जिन चिकित्सा अधिकारियों ने [illegible] वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो उन्हें सुगम स्थानों पर तैनात किया जाय। यदि सुगम स्थानों पर पद नहीं हों तो पदों की रिक्तियों के अनुरूप दुर्गम स्थानों पर अधिकतम सेवा करने वाले अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर तैनात किया जाय।

''ख'' श्रेणी साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारियों के लिए सुगम तथा दुर्गम स्थानों की व्यवस्था निम्न प्रकार है :-

सुगम स्थान :-

1. देहरादून का तराई क्षेत्र, उधमसिंह नगर-सम्पूर्ण, हरिद्वार-सम्पूर्ण, नैनीताल का तराई क्षेत्र, चम्पावत का तराई क्षेत्र, कोटद्वार (पौड़ी), मुनिकीरेती (टिहरी गढ़वाल)।
2. पर्वतीय क्षेत्र में जिला चिकित्सालय, बेस चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील स्तरीय चिकित्सालय, संयुक्त चिकित्सालय।

दुर्गम स्थान :-

1. पर्वतीय क्षेत्र के सभी ग्रामीण राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय।
2. पर्वतीय क्षेत्र के सभी प्राथमिक/अतिरिक्त प्रा0स्वा0 केन्द्र।

नोट :-

1. महानिदेशक, राज्य हैल्थ सिस्टम परियोजना तथा इम्पावर्ड कमेटी के पदों के अधीन, राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिये इस नीति में छूट होगी।
2. उपरोक्त दिशा-निर्देश केवल सामान्य स्थानान्तरण के संबंध में हैं, लेकिन उक्त के अतिरिक्त शासन को प्रशासनिक/जनहित में स्थानान्तरण का भी अधिकार होगा।
3. प्रतिनियुक्ति में गये अधिकारियों को वापस बुलाया जाय।
4. दुर्गम स्थान पर तैनात यदि कोई अधिकारी स्वेच्छा से वहीं रहना चाहें और प्रशासनिक/जनहित में स्थानान्तरण आवश्यक न हो तो उन्हें शिथिलता दी जा सकती है।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त, गढ़वाल/कुमॉयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरांचल।
5. निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी, उत्तरांचल।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अर्जुन सिंह)
उप सचिव